(23)

(87 / 6.4.15)

= यायाO-श्री मान राजस्व मण्डल मOप्रO ग्वालियर {मOप्रO}

निगरानी 958-III-15

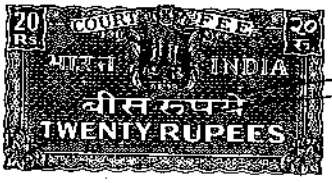

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-201/-

के.एन.सिंह एड.
द्वारा आज दिनांक 06-4-15 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व निगरानी क्रमांक-........./

1- मुसO फूलमती बेवा पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद ब्राO

2- रोहिणी प्रसाद, } तनय श्री द्वारिका प्रसाद ब्राO

3- मिथिलेश कुमार, }

सभी निवासी ग्राम-पटपरा, तहसील-चुरहट, थाना कमर्जी, जिला सीधी मOप्रO ....आवेदकगण

बनाम

धर्मराज सिंह तनय श्री छोटेलाल सिंह निवासी ग्राम-पटपरा, तहO-चुरहट, थाना-कमर्जी, जिला सीधी मOप्रO ....अनावेदक

क्रमांक 4994
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 10-4-15 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तहO चुरहट, जिला - सीधी मOप्रO के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 09/अ-6/2014x15 आदेश दिनांक 10.03.2015,

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मOप्रO भू-राजस्व संहिता-1959,

मान्यवर,

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से अधोलिखित निगरानी आवेदन पत्र सेवार्पित है :---

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :---

पुराने आराजी खसरा क्रमांक-850/2 रकवा 0.405, व 1115 रकवा-1.619 हेO किता-02 योग रकवा- 2.024 हेO से नये बन्दोबस्त मे विनिर्मित भूमियाँ खसरा क्रमांक-1639/1 रकवा-0.28 हेO व 2170 रकवा-1.62 हेO स्थित ग्राम-पटपरा, तहसील-चुरहट-

Kamyt. 6/4/015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 958-तीन/15 जिला सीधी

मुस. फूलमती आदि / अमरराजसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	यह निगरानी नायब तह० के प्र०क्र० 9/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 10-3-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधि० श्री के०एन० सिंह के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया साथ ही प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10-3-15 का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि विचारण न्याया० द्वारा मात्र यह आदेश दिया गया है "नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न विक्रय पत्र काफी पुराना है प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया। नामांतरण के संबंध में यह सामान्य न्याय की प्रक्रिया है जिसका पालन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः नायब तह० का आदेश उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०द० हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.